रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25042024-253858
CG-DL-E-25042024-253858

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1698] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 25, 2024/वैशाख 5, 1946
No. 1698] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 25, 2024/VAISAKHA 5, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2024

का.आ. 1790(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में प्रयोग्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम,1962(1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा(1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या **का.आ. 4258(अ),** तारीख **29.09.2023**, जी भारत के राजपत्र तारीख **29.09.2023** मे प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में आंन्ध्र प्रदेश राज्य में **एमडीएसजीएए** से **एमडीपी # 7 जीजीएस** तक प्राकृतिक गैस परिबहन के लिय **ओ.एन.जी.सी.लिमिटेड** द्वारा पाइपलाईन बिछाने के प्रयोजन के लिये उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख **19.10.2023** तक उपलब्ध करा दी गई थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधन हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाईन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार,उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, ओ.एन.जी.सी. लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिये ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से संबंधित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

आर.ओ.यु.पाइपलाईन : "एमडीएसजीएए से एमडीपी # 7 जी.जी.एस"

मंडल:	गाँव	जिला : डॉ. बी आर अम्बेडकर कोनासीमा	राज्य :आंन्ध्र प्रदेश		
			क्षेत्रफल		
क्रम संख्यां	गाँव का नाम	सर्वे नम्बर	हेक्टेयर	एरिया	प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
आलमुरु	आलमुरु	80/1	0	05	0
		69/3	0	21	0
		68	0	08	0
		67	0	19	0
		61	0	14	0
		60	0	14	0
		57	0	14	0
		56	0	20	0
		82/1	0	16	0
TOTAL			1	42	0

[फा. सं. इएक्सपीएल-12027(11)/47/2023-इएक्सपीएल-पीएनजी (इ-47745)]

अमित बंसल, उप सचिव

MINISTRY OF PETROLEUMAND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 2024

S.O. 1790(E).—whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas **S.O. 4258 (E) Dated.29.09.2023** issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Acts, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Published in the Gazette of India Dated **29.09.2023** the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the Land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Well No. **MDSGAA to MDP # 7 GGS** in the State of Andhra Pradesh by ONGC Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to **19.10.2023.**

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to Central Government:

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User there in:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 6 of said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in the ONGC Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd. ,shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act ,1962 and no suit, Government on any matter claim or legal proceeding would lie against the central relating to the pipeline.

SCHEDULE

ROU PIPELINE FROM "MDSGAA to MDP # 7 GGS"

Mandal	***Village***	***District Dr.B.R.Ambedkar Konaseema***	***State Andhra Pradesh***		
Sl. No.	***Name of the Village***	***Survey Number***	***Area***		
			Hectare	***Are***	***Sq. mtr.***
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
ALAMURU	**ALAMURU**	80/1	0	05	0
		69/3	0	21	0
		68	0	08	0
		67	0	19	0
		61	0	14	0
		60	0	14	0
		57	0	14	0
		56	0	20	0
		82/1	0	16	0
TOTAL			**1**	**42**	**0**

[F. No. Expl-12027(11)/47/2023-EXPL-PNG(E-47745)]

AMIT BANSAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.04.25 22:06:43 +05'30'